यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग अलमोड़ा** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग अलमोड़ा के माह 07/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अशोक कुमार मीणा, ले0प0 एवं श्री अनूप कुमार गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 19.06.2017 से 01.07.2017 तक श्री पी0के0गुप्ता लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री ए0के0गुप्ता एवं श्री वी0पी0 सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 18.07.16 से 26.07.16 तक श्री के0एल0भट्ट वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 06/15 से 06/16 तक एवं व्यय हेतु माह 06/15 से 06/16 तक के लेखाभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 07/16 से 03/17 तक एवं व्यय हेतु माह 07/16 से 03/17 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः अल्मोड़ा वन प्रभाग

(ii) (ii) (अ) **राजस्व विवरण**:

विगत तीन वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2014-15	1164.3
2015-16	1239.6
2016-17	721.3

(ब) बजट का विवरण:- विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2014-15	शून्य	शून्य	929.35	929.35	915.92	915.82	शून्य	शून्य
2015-16	शून्य	शून्य	1001.20	1001.20	837.46	837.46	शून्य	शून्य
2016-17	शून्य	शून्य	1732.00	1732.00	178.78	178.78	शून्य	शून्य

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
2016-17	इन्टे स फकेसन आफ फारेस्ट मैनेजमेंट	-	1358	1358	
2016-17					

(iii) इकाई को बजट आवंटन केंद्र एवं राज्य द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव वन विभाग> अपर सचिव> प्रमुख वन संरक्षक> मुख्य संरक्षक >वन संरक्षक > प्रभार वनाधिकारी> सहायक वन संरक्षक

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग अलमोड़ा** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 03/17 को राजस्व की विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

माह 03/17 को व्यय की विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- शून्य

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एंव लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-02 ब

प्रस्तर-01 लीसा की नीलामी न होने के कारण धनरा श का अवरुद्ध होना 4673.38 लाख।

कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के वर्ष 2016-17 के लीसा अ भलेखों की नमूना जांच में पाया गया क वर्ष 2014 एवं वर्ष 2015 में उत्पादित लीसा में से 78739.71 कुंतल लीसा रेल हेड डपो एवं मोटर रोड डपो पर नीलमी हेतु अवशेष था। जिसका ववरण वर्षवार निम्नानुसार है।

वर्ष	लीसा रेल हेड डपो पर	लीसा मोटर रोड डपो पर	कुल मात्रा	वर्तमान दर प्रति कुंतल	कुल धनरा श ₹ में
2014	17,000.46	-	17000.46	5,700	9,69,02,622
2015	50,137.44	11601.810	61739.25	6,000	37,04,35,500
योग	67,137.90	11601.810	**78739.71**		46,73,38,122

लीसा डपो पर उक्त अवशेष 78739.71/- कुंतल लीसा का निस्तारण न होने के कारण ₹46,73,38,122/- की धनरा श अवरुद्ध है।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा बताया गया क वर्तमान में लीसे के त्वरित निस्तारण कए जाने हेतु एवं लीसे के मूल्य निर्धारण कए जाने हेतु प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड द्वारा एक स मति का गठन कया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक (कुमायु) उत्तराखंड, नैनीताल द्वारा कुमायु मण्डल के अंतर्गत भंडारित समस्त लीसे का त्वरित गति से निस्तारण कए जाने हेतु प्रभागीय वना धकारी नैनीताल वन प्रभाग को प्रा धकृत कया गया है।

अतः प्रकरण को शासन एवं उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-02 ब

प्रस्तर-02 निर्धारित लक्ष्य के वरुद्ध राजस्व की प्राप्ति मे कमी ₹1671.36 लाख।

कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के वर्ष 2016-17 के राजस्व अ भलेखों की नमूना जांच में पाया गया क प्रभाग के लए लकड़ी, रायल्टी, लीसा, वन उपज एवं अन्य से प्राप्ति का लक्ष्य ₹2,39,266,440/- निर्धारित कया गया था। जब क प्रभाग द्वारा वर्ष 2016-17 के लए निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष ₹7,21,30,058/- राजस्व प्राप्ति दर्शायी गयी है। इस प्रकार अल्मोड़ा वन प्रभाग को ₹ 16,71,36,382 (23,92,66,440-7,21,30,058) लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व कम प्राप्त हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा उत्तर दिया गया क प्रभाग स्तर पर राजस्व लक्ष्यों का आवंटन उच्च स्तर से आवंटित कया गया है जो प्रभाग के लए अत्य धक है। वर्ष 2016 में उत्पादित लीसा की बिक्री न होने के कारण राजस्व के लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाये।

वभाग का उत्तर आं शक रुप से स्वीकारते हुए वर्ष 2016 का उत्पादित लीशी 8467.24 कुन्तल अवशेष था जिसका त्तसम बाजारू मूल्य 50803440/- थी। इस धनरा श को घटाने के बाद भी 1163.33 लाख (1671.36-508.03) राजस्व की प्राप्ति मे कमी आई।

अत: प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

वृक्ष पातन हेतु जमानत के रूप में जमा धनरा श को राजस्व मे जमा न कया जाना ₹22.82 लाख

उत्तराखण्ड शासन के वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 के पत्र संख्या: 512/x-2-2013-12(34)/2005 दिनांक 08 मार्च 2013 के अनुसार उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अ धनियम 1976 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के अंतर्गत वृक्ष पातन हेतु अनुज्ञा के एवज में जमा एफ डी आर एवं एन एस सी की धनरा श प्रार्थीगणों द्वारा उक्त वृक्षारोपण एवं उनके रखरखाव न करने पर जमा जमानत को जब्त करके राजस्व में जमा कया जाना है।

कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के अ भलेखों की नमूना जांच में पाया गया क अप्रैल 2009 से मार्च 2013 तक ₹ 2,82,300 की एफ डी आर एवं एन एस सी उक्त मद में जमा हैं। जिसको वभाग द्वारा चार वर्ष पूर्ण होने के उपरांत भी जब्त करके राजस्व में जमा नहीं कया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग ने उत्तर दिया क अप्रैल 2009 से 2013 तक की जमा धनरा श को राजस्व में जमा करने के लए निर्धारित प्र क्रया प्रारम्भ की जा रही है। अगली लेखा संप्रेक्षा को अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जाएगी।

अतः प्रकरण को उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-02 ब

प्रस्तर- 03 वन वभाग द्वारा लीज पर दी गयी भू म की लीज अव ध समाप्ति के उपरान्त भी 17.5200 हे0 भू म वभाग के कब्जे मे न लया जाना।

कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के लीज से संबन्धित अ भलेखों की नमूना जांच में पाया गया क वन वभाग द्वारा 141 लीज आवंटित की गयी थी जिसके अंतर्गत कुल 17.5200 हेक्टेयर की भू म लीज पर दी गयी थी। जिनकी लीज अव ध 31 मार्च 2017 को अथवा इससे पूर्व समाप्त हो चुकी है। लेखापरीक्षा नमूना जांच में पाया गया क वभाग द्वारा उक्त लीजों का न तो नवीनीकरण कया गया और न ही भू म को वभाग द्वारा अपने कब्जे में लया गया है। जिस कारण से उक्त 17.5200 हेक्टेयर भू म अतिक्र मत है।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा उत्तर दिया गया क वन उच्चा धकारियों को इस हेतु निर्दे शत कया गया है।

अतः 17.5200 हेक्टेयर भू म के अतिक्रमण का प्रकरण उच्च धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-02 ब

प्रस्तर-04 वन वभाग द्वारा लीज पर दी गयी भू म के प्री मयम व कराए की धनरा श का लंबित रहना ₹25.84 लाख

कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के लीज से संबन्धित अ भलेखों की नमूना जांच में पाया गया क वभाग द्वारा अ धशासी अ भयंता वद्युत पारेषण खण्ड 132 के वी उप संस्थान काठगोदाम हल्द्वानी को 12.501 हेक्टेयर भू म दिनांक 15.02.2005 को लीज पर दी गयी थी जिसका वा र्षक कराया ₹393675/- निर्धारित कया गया था। लीज ग्रहीता द्वारा दिनांक 15.02.2014 तक का कराया अदा कया गया था। इस प्रकार मार्च 2017 के अंत तक तीन वर्षों का कराया ₹1181025/- लीज ग्रहीता पर अवशेष था जो क ब्याज सहित देय है।

इसी प्रकार, वन वभाग द्वारा अ धशासी अ भयंता वद्युत द् वतीय कार्यखंड हल्द्वानी नैनीताल को ₹235/- वा र्षक कराए पर 0.0090 हेक्टेयर भू म दिनांक 03.02.2000 को लीज पर दी गयी थी। जिसका वर्ष 2017 तक कराया ₹3995/- अवशेष था जो क ब्याज सहित देय है।

इसी प्रकार, अ धशासी अ भयंता वद्युत द् वतीय कार्यखंड पा.का. भोटियापड़ाव हल्द्वानी को ₹13077 वा र्षक कराए पर 4.795 हेक्टेयर भू म दिनांक 07.01.2010 को लीज पर दी गयी थी। लीज ग्रहीता द्वारा लीज की ति थ से लेखापरीक्षा ति थ तक प्री मयम ₹1307725 एवं कराया जमा नहीं कया गया है। लीज की ति थ से वर्ष 2017 तक 07 वर्षों के लए कराए की रा श ₹91539/- बनती है। अतः कुल बकाया धनरा श ₹1399264 है जो क ब्याज सहित देय है।

इस प्रकार कुल धनरा श ₹2584284/- व जमा करने की ति थ तक ब्याज भी लीज ग्रहीताओं पर बकाया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा बताया गया क बकाया की वसूली कर आगामी लेखापरीक्षा दल को अवगत करा दिया जाएगा।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-02 ब

प्रस्तर-5 लीज के वलेख पत्रों पर स्टाम्प शुल्क व निबन्धन फीस का अनारोपण 12.23 लाख

भारतीय स्टाम्प अ धनियम 1899 की अनुसूची 2 ख के अनुच्छेद 35 के अनुसार 20 वर्ष से अ धक व 30 वर्ष तक के लए लीज पर दी गयी संप त्त के वा र्षक कराए का 6 गुना तथा प्री मयम यदि कोई हो, की धनरा श को जोड़कर मूल्यांकन पर स्टाम्प की देयता बनती है। जो क दिनांक 2 सतम्बर 2009 से 2% की दर से स्टाम्प लागू है। इससे पूर्व स्टाम्प की देयता 8% थी।

कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के अ भलेखों की नमूना जाँच में पाया गया क वर्ष 2000 से प्रभाग द्वारा 07 लीज (सूची संलग्न) की गयी जिसमे से 02 लीज ₹1000 व ₹10 के स्टाम्प पर अं कत की गयी थी तथा शेष 05 लीज के वलेख अं कत नहीं कए गए थे। उपरोक्त 07 लीज उपनिबंधक कार्यालय में पंजीकृत नहीं करायी गयी थी जिसके फलस्वरूप लीज ग्रहीताओं द्वारा देय स्टाम्प अदा नहीं कया गया ।

इस प्रकार उक्त 07 लीज ग्रहीताओं द्वारा वलेख पत्र पंजीकृत न कराने के कारण ₹1188150/- स्टाम्प के रूप में व ₹35075/- निबंधन शुल्क के रूप में राजस्व क्षति हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा बताया गया क शासन से स्वीकृत प्रकरणों में दिये गए शर्तों के तहत ही कार्यवाही की जाती है। प्रभाग में लीज स्वीकृत के तीन प्रकरणों की छायाप्रतियाँ पुष्टि हेतु संलग्न की जा रही है जिनमें स्टाम्प शुल्क व निबंधन शुल्क के रूप में राजस्व वसूली की कोई शर्त अ धरो पत नहीं की गयी है और न ही वन भू म की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन कया गया है।

वभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्यों क भारतीय स्टाम्प अ धनियम 1899 के अनुसार लीज पर स्टाम्प शुल्क देय है।
अतः स्टाम्प कमी व निबंधन शुल्क 1223225/- का प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक

क्रम संख्या	लीज ग्रहीता का नाम	भू म का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	लीज की दिनांक	लीज की अव ध	लीज प्री मयम	लीज रेंट वा र्षक	प्राप्त धनरा श (लीज की दिनांक तक)	धनरा श जिस पर स्टाम्प देय है	स्टाम्प की दर	देय स्टाम्प	अदा स्टा म्प	कम स्टाम्प	देय निबंधन शुल्क
1	अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण विद्युतीकरण खण्ड रानीखेत	2.75	11.03.2013	30 वर्ष	833333.00	8333.00	1083323.00	8333*30+833333= 1083323	2%	21670	100	21570	10000
2	अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद अल्मोड़ा	0.068	04.08.2004	30 वर्ष	4590000.00	45900.00	45900रु0 प्रति वर्ष की दर से वर्ष 2017 तक की लीज रेंट जमा है।	45900*6+4590000= 4865400	8%	389240	10	389230	5000
3	अधिशासी अभियन्ता विद्युत द्वितीय कार्यखण्ड हल्द्वानी नैनीताल	0.0090	03.02.2000	30 वर्ष	2349.00	235.00	वर्ष 2017 तक की धनराशि रु0 3995.00 जमा की जानी है।	235*6+2349 = 3759	8%	300	-	300	75
4	अधिशासी अभियन्ता विद्युत	12.501	15.02.2005	30 वर्ष	3936750.00	393675.00	1181025.00 जमा की	393675*6+3936750=	8%	503910	-	503910	5000

	पारेषण खण्ड 132 के0वी0 उप संस्थान काठगोदाम हल्द्वानी						जानी है।	6298800					
5	अधिशासी अभियन्ता विद्युत द्वितीय कार्यखण्ड पा0का0 भोटियापडाव हल्द्वानी	4.795	07.01.2010	30 वर्ष	1307725.00	13077.00	07.10.2010 से जमा नही है।	13077*6+1307725= 1386187	2%	27730	-	27730	5000
6	योगदा सतसंग सोसाइटी द्वाराहाट	2.00	04.02.2000	20 वर्ष	3000000.00	20रु0 प्रति नाली की दर से2000 रु0 प्रति वर्ष	—	2000*20+3000000 = 3040000	8%	243200	-	243200	5000
7	योगदा आश्रम द्वाराहाट ध्यान स्थलीय तक पहुच मोटर मार्ग	0.115	02.11.2000	30 वर्ष	17250.00	1725.00		1725*6+17250= 27600	8%	2210	-	2210	5000
कुल												1188150	35075

व्यय से संबधित

भाग-02 ब

प्रस्तर-01 कर्मचारियों/ अ धकारियों द्वारा ₹2.11 लाख की प्रतिभूति रा श का जमा न कया जाना।

कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के जमानत जमा से संबन्धित अ भलेखों की जांचमें पाया गया क निम्न ल खत अ धकारियों/कर्मचारियों द्वारा ₹2,11,500 जमानत धनरा श जमा नहीं की गयी है।

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	निर्धारित धनरा श	जमा धनरा श	अवशेष धनरा श
1.	श्रीमती तृप्ता पन्त	मुख्य प्रशासनिक अ धकारी	2000	-	2000
2.	श्री सुरेन्द्र संह नेगी	मान चत्रकार	2000	-	2000
3.	श्री सुरेश चन्द्र जोशी	प्रशासनिक अ धकारी	2000	500	1500
4.	श्री वशन राम	वन क्षेत्रा धकारी	20000	-	20000
5.	श्रीमती सं चता वर्मा	वन क्षेत्रा धकारी	20000	-	20000
6.	श्री गो वन्द बल्लभ जोशी	वन क्षेत्रा धकारी	20000	10000	10000
7.	श्री नवीन कुमार टम्टा	उप वन रेंजर	20000	-	20000
8.	श्री राजेश कुमार जोशी	उप वन रेंजर	20000	10000	10000
9.	श्री फकीर राम	उप वन रेंजर	20000	10000	10000
10.	श्री दरबान संह	वन दरोगा	10000	8000	2000
11.	श्री मोहन चन्द्र मश्रा	वन दरोगा	10000	4000	6000
12.	श्री सतीश चन्द्र आर्या	वन दरोगा	10000	4000	6000
13.	श्री बची राम द् वतीय	वन दरोगा	10000	4000	6000
14.	श्री गोपाल संह नयाल	वन दरोगा	10000	9000	1000
15.	श्री प्रेम राम	वन दरोगा	10000	4000	6000
16.	श्री जगदीश चन्द्र तिवाड़ी	वन दरोगा	10000	4000	6000

17.	श्री मदन मोहन पाण्डेय	वन दरोगा	10000	4000	6000
18.	श्री कुशल संह कैड़ा	वन दरोगा	10000	4000	6000
19.	श्री केशव दत्त भारद्वाज	वन दरोगा	10000	4000	6000
20.	श्री प्रकाश चन्द्र तिवाड़ी	वन दरोगा	10000	4000	6000
21.	श्री जोधा संह	वन दरोगा	10000	4000	6000
22.	श्री गोपाल संह	वन दरोगा	10000	4000	6000
23.	श्रीमती देवकी जोशी	वन दरोगा	10000	4000	6000
24.	श्री डकर संह राणा	वन दरोगा	10000	4000	6000
25.	श्री बलवीर संह कण्डेरी	वन दरोगा	10000	4000	6000
26.	श्री दौलत संह	वन दरोगा	10000	-	10000
27.	श्री गोकुलनन्द्र पाण्डेय	वन आरक्षी	4000	1000	3000
28.	श्री ल लत मोहन सनवाल	वन आरक्षी	4000	-	4000
29.	श्री हरीश संह मेर	वन आरक्षी	4000	-	4000
30.	श्री हिम्मत संह बोरा	वन आरक्षी	4000	-	4000
31.	श्री सुरेन्द्र संह	परिचालक	4000	1000	3000
32.	श्री जैत गरी	चौकीदार	200	-	200
33.	श्री हरी संह रावत	चौकीदार	200	-	200
34.	श्री नवीन चन्द्र आर्य	चौकीदार	200	-	200
35.	श्री चन्दन संह पवार	माली	200	-	200
36.	श्री कमला अ धकारी	माली	200	-	200
योग					**2,11,500**

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग द्वारा उत्तर दिया गया क संप्रेक्षा दल द्वारा संबन्धित कर्मचारियों की अवशेष धनरा श ₹2,11,500 की जमानत संबन्धित कर्मचारियों से आगामी माह अगस्त के वेतन से जमानत रा श जमा करवा दी जाएगी जो अगले संप्रेक्षा दल को अवलो कत करा दिया जाएगा।

अतः प्रकरण उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-02 ब

प्रस्तर-02 वन्य जीवों द्वारा जान-माल की क्षति पहुंचाए जाने पर क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ 80.28 लाख की अनुग्रह रा श का भुगतान न कया जाना।

उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण वभाग की अ धसूचना संख्या 2228/X-2-2012-19(37)/2003 दिनांक 10 दिसम्बर 2012 के द्वारा मानव वन्य जीव संघर्ष राहत वतरण नि ध नियमावली 2012 वन्य जीवों द्वारा जान माल को क्षति पहुंचाए जाने पर क्षतिपूर्ति के रूप में आ र्थक सहायता उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत अनुग्रह रा श प्रदान कए जाने एवं इसका त्वरित भुगतान सुनिश्चित कए जाने के उद्देश्य से बनाई गयी।

नियमावली की मूल भावना यह थी क वन्य जीवों द्वारा मानव को पहुंचाई जाने वाली जान माल की क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु अनुग्रह रा श का त्वरित भुगतान सुनिश्चित कया जाना चाहिए ता क मनुष्य का वन वभाग एवं वन्य जीवों के प्रति आक्रोश रोका जा सके।

कार्यालय प्रभागीय वना धकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा की मानव वन्य जीव संघर्ष राहत नि ध वतरण पत्रावली (वर्ष 2016-17) की जांच में पाया गया क प्रभाग के अंतर्गत पशु क्षति के 557 प्रकरणों में ₹77.33 लाख तथा मानव क्षति के 20 प्रकरणों में ₹ 2.95 लाख का भुगतान कया जाना अपे क्षत था। जब क प्रभाग के पास मार्च 2017 के अन्त में बैंक पासबुक के अनुसार ₹12,15,396 अवशेष था।

लेखापरीक्षा द्वारा इं गत कए जाने पर वभाग ने उत्तर दिया क जनाक्रोश एवं नियमावली के पैरा 9(1) के तहत देय धनरा श के अनुसार आं शक भुगतान पी ड़त को घटना के अ धकतम 48 घंटे के भीतर दिया जाना है जिस कारण आकस्मिकता की स्थिति में 02 प्रकरणों के समतुल्य धनरा श का व्यय प्रभाग द्वारा अवशेष रखा गया है। अतः शासन स्तर से कम धनरा श प्राप्त होने एवं आकस्मिकता की स्थिति को छोडते हुए पूर्ण धनरा श का व्यय प्रभाग द्वारा कया जा चुका है। वर्तमान में धनरा श प्राप्त होने की स्थिति में भुगतान की पूर्ण कार्यवाही कर ली जाएगी।

अतः प्रकरण को उच्चा धकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
34/2013-14	-	1,2
34/2015-16	1,2,3,4,5 **STAN-1**	
03/2016-17	**1**	-

व्यय से संबंधी :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
34/2015-16	-	1,2,3
03/2016-17	-	1

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निस्पादित अच्छे कार्य-टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निस्पादित अच्छे कार्य- टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग अलमोड़ा** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

   शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1.	श्री एस0आर0प्रजापति	प्रभागीय वनाधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग अलमोड़ा** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व